

Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding development of basic amenities in villages adjoining international border-laid.

* m01

श्री देवजी पटेल (जालौर): सांचौर तहसील को दिनांक 12 मार्च 1996 को सांचौर चितलवाना सरवाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। सांचौर और चितलवाना प्रखण्ड के नागरिकों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर से 1.5 कि०मी० की दूरी पर यह गाँव है, 10-15 कि०मी० पर गाँव तथा 15-20 कि०मी० गाँव स्थित है। इन गाँवों में मुलभूत सुविधा का नितांत अभाव है। इन गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल एवं संचार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है।

अतः जालौर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों में मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि उपलब्ध करावे।